

झारखण्ड विधान सभा

कार्य सूची

पंचम झारखण्ड विधान-सभा

26 फरवरी, 2024 (ई०)

सोमवार, तिथि

07 फाल्गुन, 1945 (श०)

[पंचदश(बजट)सत्र]

(कार्यवाही प्रारम्भ होने का समय-11:00 बजे पूर्वाह्न)

-: प्रश्नोत्तर :-

- (01)- सभा के गत-सत्र के अतारांकित तथा अनागत प्रश्नों के उत्तर का सभा सचिव द्वारा पटल पर रखा जाना (यदि हो)।
- (02)- अल्प-सूचित एवं तारांकित प्रश्न तथा उनके उत्तर।
- (03)- शून्यकाल की सूचनाएँ।

-: ध्यानाकर्षण-सूचनाएँ एवं उसपर सरकार का वक्तव्य :-

- (04)- श्री सरयू राय, स०वि०स की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उस पर सरकार (राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग) की ओर से वक्तव्य।
- (05)- श्री मथुरा प्रसाद महतो, स०वि०स०की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उस पर सरकार (पेयजल एवं स्वच्छता विभाग) की ओर से वक्तव्य।
- (06)- सर्वश्री नीलकंठ सिंह मुण्डा, चन्द्रेश्वर प्रसाद सिंह एवं श्री केदार हजरा स०वि०स०की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उस पर सरकार(नगर विकास एवं आवास विभाग) की ओर से वक्तव्य।
- (07)- डॉ० लम्बोदर महतो, स०वि०स० की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उस पर सरकार (ग्रामीण विकास विभाग) की ओर से वक्तव्य।
- (08)- श्री प्रदीप यादव, स०वि०स० की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उस पर सरकार (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग) की ओर से वक्तव्य।

-: समितियों का गठन :-

- (09)- झारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन के नियम के अनुसरण में समितियों का गठन (यदि हो)।

-: सभा मेज पर कागजात का रखा जाना :-

- (10)- वित्त विभाग के प्रभारी मंत्री, डॉ० रामेश्वर उराँव द्वारा झारखण्ड सरकार का आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 2023-24 की प्रति सभा पटल पर रखा जाना।
- (11)- झारखण्ड विधान सभा की समितियों के प्रतिवेदनों का सभा-पटल पर रखा जाना (यदि हो)।
- (12)- याचिकाओं का उपस्थापन (यदि हो)।

-: वित्तीय-कार्य :-

- (13)- वित्तीय वर्ष 2023-24 के तृतीय अनुपूरक व्यय विवरणी में सम्मिलित अनुदानों की माँगों पर वाद-विवाद, सरकार का उत्तर तथा मतदान।

{कटौती प्रस्तावों की सूची अलग से वितरित की जा रही है}

-: विधायी-कार्य :-

राजकीय (वित्त) विधेयक

झारखण्ड विनियोग (संख्या-01) विधेयक, 2024

- (14)- वित्त विभाग के प्रभारी मंत्री डॉ० रामेश्वर उराँव प्रस्ताव करेंगे कि “झारखण्ड विनियोग (संख्या-01) विधेयक, 2024 को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाय ”।
- (15)- वित्त विभाग के प्रभारी मंत्री डॉ० रामेश्वर उराँव, उपर्युक्त विधेयक को पुरःस्थापित करेंगे।
- (16)- वित्त विभाग के प्रभारी मंत्री डॉ० रामेश्वर उराँव, प्रस्ताव करेंगे कि “झारखण्ड विनियोग (संख्या-01) विधेयक, 2024 पर विचार हो”।
- (17)- वित्त विभाग के प्रभारी मंत्री डॉ० रामेश्वर उराँव, प्रस्ताव करेंगे कि “झारखण्ड विनियोग (संख्या-01) विधेयक, 2024 स्वीकृत हो”।
- (18)- अन्य नितान्त आवश्यक कार्य (यदि हो)।

सैयद जावेद हैदर

प्रभारी सचिव,

झारखण्ड विधान सभा, राँची।

ज्ञाप संख्या:-कार्य०का०सू०-07/2024-2922/वि०स०, राँची, दिनांक-25/02/24.....

प्रतिलिपि:-माननीय सदस्यगण, झारखण्ड विधान-सभा, राँची/माननीय मुख्यमंत्री/माननीय मंत्रिगण/सरकार के मुख्य सचिव, झारखण्ड/ माननीय राज्यपाल के प्रधान सचिव/महाधिवक्ता, झारखण्ड, राँची/ महासचिव लोकसभा, नई दिल्ली/महासचिव राज्य सभा, नई दिल्ली/झारखण्ड सरकार के समस्त विभागों के प्रधान सचिव/सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(हरेन्द्र कुमार साह)

उप सचिव,

झारखण्ड विधान सभा, राँची।

कृ०पृ०उ०.....०३

ज्ञाप संख्या:-कार्य०का०सू०-०७/२०२४-२९२२/वि०स०,राँची,दिनांक-२५/०२/२४

प्रतिलिपि:-संयुक्त सचिव,अध्यक्षीय कार्यालय एवं निजी सहायक,सचिवीय कार्यालय को क्रमशः माननीय अध्यक्ष महोदय एवं प्रभारी सचिव महोदय के सूचनार्थ प्रेषित।

(Handwritten Signature)
२५/०२/२०२४
(हरेन्द्र कुमार साह)

उप सचिव,
झारखण्ड विधान सभा,राँची।

ज्ञाप संख्या:-कार्य०का०सू०-०७/२०२४-२९२२/वि०स०,राँची,दिनांक-२५/०२/२४

प्रतिलिपि:-झारखण्ड विधान-सभा के सभी पदाधिकारीगण/वेबसाईट शाखा/ पुस्तकालय शाखा ,जनसम्पर्क शाखा एवं झारखण्ड विधान-सभा टी०वी० को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(Handwritten Signature)
२५/०२/२०२४

उप सचिव,
झारखण्ड विधान सभा,राँची।

गोपी कृष्णा/

-: आंक-विभागी :-

कार्यालय (राँची) अतिरिक्त

५२०५,कार्यालय (१०-तक) अतिरिक्त अण्डरटाक

(Handwritten Signature)
२५.०२.२४

की विरत आंक,राँची अतिरिक्त ०६ विरत आंक के आंकणी राँची - (५।)

राँची अतिरिक्त ५२०५,कार्यालय (१०-तक) अतिरिक्त अण्डरटाक

। " विरत आंक के विरत

की विरत आंक,राँची अतिरिक्त ०६ विरत आंक के आंकणी राँची - (६।)

। विरत आंक

की विरत आंक,राँची अतिरिक्त ०६ विरत आंक के आंकणी राँची - (७।)

। " विरत आंक के विरत ५२०५,कार्यालय (१०-तक) अतिरिक्त अण्डरटाक

की विरत आंक,राँची अतिरिक्त ०६ विरत आंक के आंकणी राँची - (८।)

। " विरत आंक के विरत ५२०५,कार्यालय (१०-तक) अतिरिक्त अण्डरटाक

। (वि विरत आंक के विरत आंकणी आंक - (९।)

उप सचिव

अतिरिक्त

। विरत आंक अतिरिक्त अण्डरटाक

५२०५,कार्यालय (१०-तक) अतिरिक्त अण्डरटाक

। विरत आंक अतिरिक्त अण्डरटाक अतिरिक्त अण्डरटाक अतिरिक्त अण्डरटाक

। विरत आंक अतिरिक्त अण्डरटाक अतिरिक्त अण्डरटाक अतिरिक्त अण्डरटाक

। विरत आंक अतिरिक्त अण्डरटाक अतिरिक्त अण्डरटाक अतिरिक्त अण्डरटाक

। विरत आंक अतिरिक्त अण्डरटाक अतिरिक्त अण्डरटाक अतिरिक्त अण्डरटाक

। विरत आंक अतिरिक्त अण्डरटाक अतिरिक्त अण्डरटाक अतिरिक्त अण्डरटाक

। विरत आंक अतिरिक्त अण्डरटाक अतिरिक्त अण्डरटाक अतिरिक्त अण्डरटाक

। विरत आंक अतिरिक्त अण्डरटाक अतिरिक्त अण्डरटाक अतिरिक्त अण्डरटाक

। विरत आंक अतिरिक्त अण्डरटाक अतिरिक्त अण्डरटाक अतिरिक्त अण्डरटाक

। विरत आंक अतिरिक्त अण्डरटाक अतिरिक्त अण्डरटाक अतिरिक्त अण्डरटाक

। विरत आंक अतिरिक्त अण्डरटाक अतिरिक्त अण्डरटाक अतिरिक्त अण्डरटाक

। विरत आंक अतिरिक्त अण्डरटाक अतिरिक्त अण्डरटाक अतिरिक्त अण्डरटाक